न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी :– हंसमुख कुमार RAS
राजस्व वाद सख्या 77/2020

वादी :–

1. श्रीमती चांदनी जैन पत्नी श्री मुकेश जैन जाति ओसवाल निवासी शास्त्रीनगर, जोधपुर।

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. श्रीमती कमला पत्नि ओमप्रकाश जी जाति माली निवासी सालावास तहसील लूणी।
2. श्रीमती नर्मदा पत्नि रामचन्द्र जी जाति माली निवासी बासनी जोधपुर।
3. सोहनलाल पुत्र कानाराम जी जाति माली निवासी सालावास।
4. रविकान्त पुत्र बालकिशन जी जाति सैन निवासी 45 प्रेमनगर खेमे का कुआ पाल जोधपुर।
5. उषाकिरण पत्नि बालकिशन जी जाति सेन उम्र 45 वर्ष निवासी सुभाषनगर पाल रोड जोधपुर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

———————

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. वादिनी की ओर से अधिवक्ता हनुमान प्रजापति।
2. प्रतिवादीगण की ओर से प्रेमकुमार देवड़ा।

निर्णय :– 12.01.2026

–: आदेश :–

1. वादिनी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया गया कि वादीनी की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 56 रकबा 50 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर में आई हुई है जिस पर वादीनी बहैसियत खातेदार काबिज है। वादिनी के खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि के चिपते हुए प्रतिवादीगण के खातेदारी की कृषि भूमियां खसरा नंबर 55, के बट्टा नंबर 55/8, 55/5, 55/2, 55/3 एंव 55/6 एंव 55/9 की कृषि भूमि आई हुई है। खसरा नंबर 55/8 प्रतिवादी संख्या 2. खसरा नंबर 55/5 प्रतिवादी संख्या 1 खसरा नंबर 55/2 प्रतिवादी संख्या 3 खसरा नंबर 55/6 प्रतिवादी संख्या 4 एंव खसरा नंबर 55/9 एवं खसरा नंबर 55/3 प्रतिवादी संख्या 5 के नाम राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज है। वादीनी तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि के दोनो खसरान खसरा नंबर 56 एंव 55 की माठे अलग अलग है। वादीनी अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ग्राम सालावास के निवासी है तथा झगडालू प्रवृति के है वो तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 आपस मे बदनियति पूर्वक वादीनी की खातेदारी की

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

कृषि भूमि पर गैर कानूनी रूप से कब्जा करने की नियत रखते है तथा प्रतिवादीगण षड्यंत्रपूर्वक वादीनी की खातेदारी की कृषि भूमि को खुर्द बुर्द कर उसकी माठ को तोड कर वादीनी की खातेदारी की कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश करते है। वादीनी द्वारा कई बार प्रतिवादीगण को समझाईश की तो भी वे नहीं मान रहे है। इस कारण वादिनी द्वारा वाद पेश कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है।

2. वादिनी के वाद को कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को समन जारी तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता प्रेम कुमार देवड़ा ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 1 व 5 की ओर से वाद में जवाब पेश नही कर सीधे ही प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में इस आशय की अंडरटेंकिंग दी गई कि वादिनी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 56 रकबा 50.17 बीघा में अप्रार्थीगण दखलअंदाजी नही करेंगे।

3. उभय पक्षों की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादिनी द्वारा बहस में वादपत्र में वर्णित अभिवचनों को दौहराते हुए कथन किया कि अपने खातेदारी भूमि खसरा नंबर 56 की भूमि में प्रतिवादीगण जबरन प्रवेश तथा उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं कर माठ को खुर्द बुर्द नहीं कर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्यवाही नहीं करें। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधी ही अंडरटेंकींग दी गई कि वादिनी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 56 रकबा 50.17 बीघा में अप्रार्थीगण दखलअंदाजी नही करेंगे।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी अपने खातेदारी कृषि में बहैसियत खातेदार काबिज है तथा प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि बाबत् सुरक्षा हेतु स्थायी व्यादेश प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में वादिनी का वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर वाद डिक्री किया जाता हैं कि वादिनी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता हैं तथा वादिनी का विवादग्रस्त आराजी खेत भूमि खसरा नंबर 56 रकबा 50 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सालावास तहसील लूणी मे स्थित कृषि भूमि मे प्रतिवादी सख्या 1 से 5 किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर एंव नम्बर से कम हो।

(हंसमुख कुमार RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी